


जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के गठन के लिए निर्देश जारी

लखनऊ। प्रदेश के सभी जिलों में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के गठन के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने निर्देश पर



प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम की ओर से भेजे गए शासनादेश में कहा गया है कि नियमावली में दिए गए निर्देशों व प्रावधानों के अनुसार परिषद का गठन किया जाए।

इस परिषद के गठन का उद्देश्य जिलों में पौराणिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण व संवर्धन किया जाना है। इससे विभिन्न पर्यटन एवं सांस्कृतिक स्थलों से जुड़े व्यक्तियों,

कलाकारों व स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास व रोजगार के साधनों का सृजन करना भी है। जिले के विभिन्न विशेषज्ञों को पर्यटन विकास की गतिविधियों से जोड़ना व

पर्यटन के नए क्षेत्रों की पहचान करना भी इसका उद्देश्य है। शासनादेश में कहा गया है कि जिन जिलों में परिषद का गठन कर लिया गया है, वहां इसकी बैठक बुलाकर नियमावली संशोधन का प्रस्ताव पारित करके सहायक पंजीयक, सोसायटी व फर्म्स को सूचित कर दिया जाए। साथ ही एक महीने में बैंक खाते खुलवाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो